Phone & Fax no.0135-2431159 email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 1500 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 10/01 /2023,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे0 वन भूमि नगर पंचायत गजा को दिये जाने के सम्बन्ध में।
(Online No. FP/UK/OTHERS/29354/2017)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/09/36/2022/एफ0सी0/914 दिनांक–30.09.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक–1642/12–1, दिनांक–21.12.2022,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्मित पत्र से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की जा रही है :-

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no-1 the details of other areas examined and the reasons for their rejection are still not provided. Hence, the details regarding the same is required to be submitted by the State Government.	**बिन्दु संख्या–01** के क्रम में अवगत कराना है कि वैकल्पिक समरेखण तथा उसे निरस्त किये जाने का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–01)**
2	In reply to point no-2, wildlife mitigation plan uploaded in addl. Document on online portal pertains to a transmission line project. State Government is requested to submit the wildlife mitigation plan for the proposal under consideration.	**बिन्दु संख्या–02** के अनुपालन में अवगत कराना है कि संशोधित मिटिगेशन प्लान संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–02)**
3	with reference to point no-3, D.O. latter has been issued by Secretary MoEF&CC on 03-07-2017 according to which Enviornment Clearance (EC) is required in this case. Therfore, it is requested to update accordingly in the Part I and Seek EC Clearance from appropriate authority.	**बिन्दु संख्या–03** के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II खंड 3 उप खंड (II) प्राधिकरण से प्रकाशित सं0 861 नई दिल्ली शुक्रवार 8 अप्रैल 2016 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 8 अप्रैल 2016 के अनुसार 05 टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ठ प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए आवश्यक है। जबकि नगर पंचायत गजा में मात्र 1.0 टन ही है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2016 की प्रति संलग्न है यदि फिर भी आवश्यक होगा तो भूमि हस्तान्तरण के पश्चात करवा लिया जाएगा क्योंकि यदि किसी कारणवश यदि भूमि हस्तान्तरण नहीं होता है, तो फिर EC का कोई औचित्य नहीं रहेगा। **(संलग्न–03)**

P.T.O

4	In reply to point no. 5, map of the plantation area is still not provided. State Government is requested to submit/upoad tha map for the plantation area.	**बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में अवगत कराना है कि वनीकरण क्षेत्र के टोपो सीट एवं जी0आई0एस0 मैप ऑन लाइन परिवेश पोर्टल के भाग 2 के एडिसनल कॉलम में अपलोड कर दिये गये हैं जिसकी प्रतियां मय संलग्नको के प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्न–04)
5	In reply to point no. 7 it is mentioned that all the muck generated will be utilized. State Government is requested to submit an undertaking in this regard duly authenticated by the concerned DFO.	**बिन्दु संख्या–05** के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का निस्तारण उसी स्थल पर समतलीकरण करने हेतु प्रयोग किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्न–05)

संलग्न– उपरोक्तानुसार :-

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

संख्याः– 1500 / 121 दिनांकित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक